फर्द अहकाम
(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

शिशपाल बनाम तहसीलदार

मुकदमा प्रार्थना पत्र 128 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट मु. नं. 2/6 सन् 2022 जीसीएमएस नं.

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 09.05.2022 को पेश हो।	
09.05.2022	पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी बावजूद सम्यक तामील अनु०। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 16.05.22 को पेश हो।	
16/5/22	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीगण के पिता खातेदार दर्ज है। अतः पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम हेमराजपुरा तह. पाटन स्थित भूमि खसरा नंबर 582, 611, 612, 613 प्रार्थीगण, सहखातेदारान एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान 28.05.2020 उक्त खसरा नम्बरान की चतुर्दिक सीमाओं पर पत्थरगढ़ी की जावे। तहसीलदार पाटन को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner